

Form No. III**फर्द—अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

तहसीलदार निम्बाहेडा

बनाम

नन्दकिशोर धाकड़

कार्यवाही अन्तर्गत :- **नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रार्थना-पत्र

नं०

018

सन्

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता हाजिर। वकील अप्रार्थी हाजिर। हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने पत्रांक/एलआर/निग/2025/11884/चित्तौड़गढ़/09.03.2026/19362 दिनांक 24.12.25 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.03.2025 के संबंध में निगरानी प्रस्तुत होने से मूल पत्रावली तलब की गई है। अतः हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा में कार्यवाही स्थगित की जाकर पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा की मूल पत्रावली प्रकरण संख्या - निर्णय दिनांक 25.11.2021 भी तलब की गई है जो कि न्यायालय हाजा की पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर है, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा की मूल पत्रावली भी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर भिजवाई जावे। न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने से हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में मूल पत्रावली प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली का मुसन्ना कायम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। तदनुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

